INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 13 | ISSUE - 2 | MARCH - 2023

जनजातीय समाज में महिलाओं की राजनैतिक स्थिति का अध्ययन

महेन्द्र कुमार पटेल[1] , डॉ. शाहेदा सिद्धीकी[2]
[1]शोधार्थी, समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
[2]सह–प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश –

भारतीय समाज की पितृसत्तामक व्यवस्था महिलाओं को जिस तरह सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में दोयम दर्जा या अमहत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है, उसी तरह राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता दिखाई पड़ती है। राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं को पुरूषों की पितृसत्तात्मक सोच का सामना करना पड़ता है। राजनैतिक भागीदारी राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी से है। राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से समाज के द्वारा निर्धारित उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाईयों का सामना आसानी से किया जा सकता है। राजनैतिक भागीदार के पास भी निर्णय लेने के व्यापक अधिकार होते हैं। दूसरे शब्दों में राजनैतिक भागीदारी का अर्थ है कि जब कभी या जहां कहीं भी वर्तमान स्थिति अलाभप्रद हो तो उसे बदल दिया जाये और आवश्यक सामाजिक परिवर्तन लाने हेतु निर्णय प्रक्रियाओं एवं नीतियों को कारगर ढंग से प्रभावित करने के लिए सत्ता के प्रयोग में हिस्सेदारी निभाना।

मुख्य शब्द – भारतीय समाज, राजनीतिक भागीदारी एवं जनजातीय महिला।

प्रस्तावना –

वैदिक युगीन भारतीय समाज में महिलाओं को पुरूषों के समान ही शिक्षा, धर्म, राजनीति, सम्पत्ति व उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त थे। इस काल में चारों वर्णों में महिलाओं की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ और सम्पन्न थी। किंतु मध्ययुगीन समाज और ब्रिटिशकालीन भारतीय समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया और वे पुरूषों के अधीन हो गई उनके समस्त अधिकार छीन लिये गये तथा उनका प्रत्येक निर्णय पुरूष सत्तात्मक समाज द्वारा प्रभावित होने लगा।

पारम्परिक दृष्टि से महिलाओं की प्रत्येक गतिविधियां घर की चहारदीवारी के बीच केन्द्रित रही और सार्वजनिक क्षेत्र में पुरूषों का वर्चस्व बना रहा। लेकिन आधुनिक काल में सरकारी प्रयत्नों और समाज सुधार आंदोलन ने महिलाओं की प्रस्थिति को घर के भीतर और बाहर दोनों ही स्थानों पर सुधारने का प्रयत्न किया। सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाओं की अपेक्षा आदिवासी समाज की महिलाओं की स्थिति में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दृष्टि से काफी अंतर है। इस अंतर को भी मिटाने के लिए शासन और प्रशासन द्वारा जो भी प्रयास किये गये उसके सकारात्मक परिणाम हम सबसे समक्ष दिखाई देने लगे हैं। आज जनजातीय समाज की बहुसंख्यक महिलाएं परिवार के निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। पंचायती राज

अधिनियम के कारण जनजातीय महिलाएं औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की राजनैतिक प्रक्रियाओं में अपनी भागीदारी का स्तर और प्रकृति का विस्तार कर रही है।

19वीं शदी के अंत में पूरे विश्व में महिलाओं की राजनैतिक जागरूकता और सहभागिता का मुददा जोर पकड़ने लगा था तथा 20वीं शदी के प्रारम्भ में महिलाओं के मतदान सम्बन्धी अधिकारों से सम्बन्धित नारी आंदोलनों ने जोर पकड़ने की शुरूआत हो गई थी। 1951 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयेाजित अधिवेशन में महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों सम्बन्धी विषय पर चर्चा की गई और जिसमें निर्णय लिया गया कि महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के पुरूषों की भांति ही वोट (मतदान) करने का अधिकार प्रदान किया जायेगा। संयुक्त द्वारा लिया गया यह निर्णय महिलाओं के राजनैतिक अधिकारों के लिये मील का पत्थर साबित हुआ। कई देशों में महिलाओं को पुरूषों की भांति राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिये कड़ा संघर्ष करना पड़ा और कई देशों में आज भी महिलाएं पुरूषों की भांति राजनैतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही हैं लेकिन फिर भी विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में पुरूषों की भांति ही महिलाओं को राजनैतिक अधिकार प्राप्त हैं और यह महसूस किया जाने लगा कि महिलाएं भी राजनीतिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

विश्लेषण –

मुगलकाल के समय से भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण महिलाओं के प्रवेश के अनुकूल नहीं था। किंतु स्वतंत्रता संग्राम आंदोलनों ने महिलाओं को सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों के साथ–साथ राजनैतिक क्षेत्र में प्रवेश करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया और महिलाओं ने इस अवसर का लाभ लेते हुए राजनीति के क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। लेकिन इसके बावजूद भी औपचारिक राजनैतिक निकायों में महिलाओं की उपस्थिति स्वतंत्रता पश्चात के बाद भी न्यून ही रही। लेकिन भारतीय संविधान में हुए 73वें और 74वें संशोधनों ने भारतीय महिलाओं के राजनैतिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण विस्तार प्रदान किया। इन संशोधनों ने ग्रामीण राजनैतिक निकायों में महिलाओं की भागीदारी के लिये विशेष स्थान आवंटित करने के प्रावधान रखे। इन संशोधनों के कारण जहां सभी महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी सुनिश्चित हुई वहीं समाज के हांसिये में रहने वाली जनजातीय वर्ग की महिलाओं को भी राजनैतिक भागीदारी के अवसर प्राप्त होने लगे।

सरल शब्दों में राजनीति का अर्थ होता है – शासन प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व, नीति पद तथा सत्ता आदि। राजनीति सत्ता के निर्माण, परस्पर वितरण एवं निष्पादन का क्षेत्र है। राजनीति में औपचारिक, राजनैतिक आधार शामिल हैं तथा आंदोलन, विरोध प्रदर्शन एवं संघर्ष आदि राजनैतिक व्यवहार की मूल अभिव्यक्तियां हैं।

सत्तर के दशक में महिला सशक्तीकरण शब्द विश्व पटल पर सबसे सामने आया और इस सशक्तीकरण संकल्पना के अंतर्गत कहा गया कि पिछड़ी और कमजोर महिलाएं चेतन उन्नयन के माध्यम से सत्ता व्यवस्था को चुनौती देने और स्वयं के जीवन पर नियंत्रण पाने में सक्षम हो सकेगी। राजनैतिक सशक्तीकरण शब्द का सीधा अर्थ है कि जब महिलाएं आधारभूत सत्ता सम्बन्धों को चुनौती देने की स्थिति प्राप्त कर ले या प्रतिरोध करने की क्षमता प्राप्त कर लें या संगठनात्मक गतिविधियों में स्वयं को शामिल करने की क्षमता हासिल कर ले। जिन समाजों या समूहों में वर्ग, जाति, लिंग ही राजनैतिक सत्ता में पहुंचने का आधार हो ऐसे समाजों में महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया उस समय शुरू होती है जब महिलाएं स्वयं का दमन करने वाली शक्तियों को पहचान लेती हैं तथा साथ ही विद्यमान सत्ता सम्बन्धों को बदल डालने के लिये प्रयास करना भी प्रारंभ कर देती है। बिस्ता इन्द्रजीन्सकी (1962) के अनुसार सशक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दमित महिला वर्ग जनप्रतिनिधियों में और ऐसे अन्य प्रक्रियाओं के विकास में दूसरे अन्य व्यक्तियों के साथ शामिल होकर स्वयं के जीवन पर कुछ सीमा तक अधिकारों का सृजन कर लेते हैं अर्थात् दमित महिला वर्ग स्वयं पर प्रभावपूर्ण ढंग से शासन करने में सक्षम बन जाते हैं।

दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जब कोई विशिष्ट महिला अथवा हांसिये में स्थित महिला समूह उन राजनैतिक सत्ता सम्बन्धों के प्रति सचेत हो जाते हैं जिन्होंने उनके अधिकारों, सुविधाओं और आधारभूत प्राधारों से वंचित किया हो और साथ ही अपने हित वाले सत्ता पुनर्वितरण हेतु लड़ने का निर्णय ले लेते हैं तब कहा जा सकता है कि महिला सशक्तीकरण का प्रारंभ हो चुका है।

भारतीय संविधान में सभी नागरिकों हेतु दूसरे अन्य प्रावधानों के अलावा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करने का दावा किया गया है। साथ ही यह महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए

न्यायिक शर्तें तय करने का प्रयास भी करेगा। भारत की महिलाओं को संविधान में अनुच्छेद 326 के अनुसार पुरूषों की तरह राजनैतिक समानता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 326 सभी 18 वर्ष के ऊपर के भारतीय नागरिकों को मताधिकार प्रदान करता है।

15 अगस्त 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तथा प्रथम आम चुनावों में महिलाओं ने अपनी समान राजनैतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया।

राजनीति में महिलाओं की प्रभावोत्पादकता को परखने के लिए कुल तीन प्रकार के संकेतक निर्धारित किये गये हैं, जो कि निम्नलिखित हैं –

(अ) राजनैतिक प्रक्रिया में भागीदारी – इस संकेतक के अंतर्गत शामिल प्रत्येक चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत तथा महिला प्रत्याशियों की संख्या।

(ब) राजनैतिक मनोवृत्ति – राजनीति में भागीदार महिलाओं की चेतना और राजनैतिक कार्य एवं व्यवहार में उनकी स्वायत्ता एवं स्वंत्रता।

(स) राजनैतिक प्रक्रिया में महिलाओं का प्रभाव – इसमें शामिल है विभिन्न चुनावों में महिला प्रत्याशियों की संख्या और महिलाओं की लामबंदी हेतु अभियानों का प्रभाव।

महिलाओं की राजनैतिक सक्रियता एवं भागीदारी का अर्थ केवल मतदान करना नहीं है बल्कि सभी स्तरों पर निर्णय तथा नीति निर्माण में हिस्सा लेना भी है। राजनैतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी उनके राजनैतिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया को मजबूत बनाता है। हालांकि संसद और विधानसभाओं में आदिवासी महिलाओं का प्रतिनिधित्व न के बराबर है लेकिन जितनी भी महिलाएं इन आमचुनावों में प्रतिनिधित्व प्राप्त करती हैं, उनके सहयोग में आदिवासी महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से अवश्य रहती है।

तालिका क्रमांक 1
लोकसभा चुनावों में चयनित महिला सदस्यों की संख्या (1952–20)

क्र.	लोकसभा	वर्ष	कुल सीट	महिला प्रतियोगियों की संख्या	चयनित महिलाओं की संख्या	प्रतिशत
1	प्रथम	1952	499	40	22	4.4
2	द्वितीय	1957	500	45	27	5.4
3	तृतीय	1962	503	70	34	6.7
4	चतुर्थ	1967	523	67	31	5.9
5	पांचवी	1971	521	86	22	4.2
6	छठवीं	1977	544	70	19	3.4
7	सातवीं	1980	544	142	28	5.1
8	आठवीं	1984	544	164	44	8.1
9	नवमीं	1989	317	198	27	5.2
10	दसवीं	1991	544	325	39	7.16
11	ग्यारहवीं	1996	544	599	40	7.18
12	बारहवीं	1998	544	271	44	8.08
13	तेरहवीं	1999	544	277	47	8.63
14	चौदहवीं	2004	543	480	52	9.57
15	पन्द्रहवीं	2009	543	556	59	10.86
16	सोलहवीं	2014	543	668	62	11.42
17	सत्रहवीं	2019	543	724	78	14.36

स्रोत – म.प्र. राज्य निर्वाचन कार्यालय, भोपाल

उपर्युक्त तालिका में वर्ष 1952 से वर्ष 2019 के बीच लोकसभा चुनावों में महिला प्रतियोगियों की संख्या, चयनित महिलाओं की संख्या तथा पूरे भारत में लोकसभा चुनावों में चयनित महिलाओं के प्रतिशत को दिखाया गया है। पहले लोकसभा चुनाव में 1952 में 499 लोकसभा सीटों के विरूद्ध 40 महिला उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था जिसमें मात्र 22 महिलाएं लोकसभा सदस्य के रूप में चयनित हुई थी। वहीं 17वीं लोकसभा चुनाव वर्ष 2019 में कुल 543 सीटों के विरूद्ध 724 महिला उम्मीदवारों ने लोक सभा चुनावों में अपना नामांकन दाखिल किया था जिसमें कुल 78 महिलाएं लोकसभा सदस्य के रूप में चयनित हुई। वर्ष 1952 के लोकसभा चुनावों में चयनित महिलाओं का प्रतिशत 4.4 था। वहीं सत्रहवीं लोकसभा चुनाव 2019 में चयनित महिलाओं का प्रतिशत 14.36 रहा है, जबकि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में चयनित महिलाओं का प्रतिशत 11.42 था। परंतु इस वर्ष महिला प्रत्याशियों की संख्या 668 थी जबकि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में महिला प्रत्याशियों की संख्या 724 थी। इस तरह प्रथम लोकसभा चुनाव से 17वें लोकसभा चुनावों तक चयनित महिला प्रतिशत और नामांकित महिला उम्मीदवारों की संख्या में लगातार वृद्धि रही जो कि राजनीति में महिलाओं की अच्छी सहभागिता को प्रदर्शित करता है।

तालिका क्रमांक 2

मध्यप्रदेश राज्य विधानसभा चुनावों में महिला प्रतिनिधित्व (1957–2018)

क्र.	वर्ष	कुल सदस्य	महिला प्रतिभागियों की संख्या	चयनित महिलाओं की संख्या	चयनित महिलाओं का प्रतिशत
1	1957	218	36	15	6.8
2	1962	288	40	15	5.2
3	1967	296	17	10	3.37
4	1972	296	30	00	0.00
5	1977	320	47	10	3.12
6	1980	320	50	18	5.6
7	1985	320	76	31	9.68
8	1990	320	153	11	3.43
9	1993	320	167	12	3.75
10	1998	320	181	26	8.12
11	2003	230	199	19	8.26
12	2008	230	226	25	10.86
13	2013	230	200	30	13.04
14	2018	230	250	21	9.13

स्रोत– मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन कार्यालय, भोपाल

उपर्युक्त प्रस्तुत तालिका में वर्ष 1957 से वर्ष 2018 के बीच मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनावों में महिला प्रतियोगियों की संख्या, निर्वाचित महिलाओं की संख्या और निर्वाचित महिलाओं का प्रतिशत वर्षवार दिखाया गया है। म.प्र. में सम्पन्न प्रथम विधानसभा चुनाव वर्ष 1957 में 218 सीटों के विरूद्ध 36 महिला उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया था जिसमें 15 महिलाएं चयनित हुई थी। इस वर्ष विधानसभा में पुरूषों के मुकाबले 6.8 प्रतिशत महिला सदस्य चुनी गई। वर्ष 2018 में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनावों में 250 महिला उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया जिसमें 21 महिला सदस्य चयनित हुई। प्रस्तुत तालिका में प्रथम विधानसभा चुनावों से वर्ष 2018 में सम्पन्न विधानसभा चुनावों में महिला उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि लगातार दर्ज की गई जिससे स्पष्ट होता है कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होना चाहती हैं। वहीं चयनित महिलाओं की संख्या और चयनित महिलाओं के प्रतिशत में वर्ष 1957 से वर्ष 2018 तक अस्थिरता ही रही।

तालिका क्रमांक 3
विधानसभा चुनाव में वर्षवार महिला पुरूष मतदान प्रतिशत (1957–20)

क्र.	वर्ष	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश			सम्पूर्ण रीवा जिला		
		कुल मतदान प्रतिशत	महिला	पुरूष	कुल मतदान प्रतिशत	महिला	पुरूष
1	1957	44.52	29.07	59.68	43.01	27.60	58.42
2	1962	45.3	30.06	60.00	44.28	29.80	58.77
3	1967	53.49	41.80	65.12	53.12	41.53	64.71
4	1972	55.26	44.37	66.03	54.05	42.22	65.89
5	1977	52.73	43.22	62.15	52.27	42.69	61.86
6	1980	49.03	39.39	58.52	48.95	37.43	60.47
7	1985	49.85	41.40	58.04	49.03	40.37	57.69
8	1990	54.19	46.78	61.16	53.45	46.12	60.78
9	1993	60.52	52.35	68.20	59.52	52.81	66.23
10	1998	60.22	53.53	66.49	50.00	47.00	53.00
11	2003	67.25	62.14	71.49	48.00	47.82	52.18
12	2008	69.28	65.91	72.30	54.65	50.29	58.52
13	2013	72.07	70.09	73.86	62.68	60.28	64.22
14	2018	74.85	73.86	75.72	63.81	61.35	66.27

स्रोत– मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन कार्यालय, भोपाल म.प्र.

उपर्युक्त तालिका में वर्ष 1957 से वर्ष 2018 के बीच विधानसभा चुनावों में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश और रीवा जिले में कुल मतदान प्रतिशत तथा महिला पुरूष मतदान प्रतिशत को वर्षवार प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 1957 में सम्पूर्ण म.प्र. में कुल मतदान 44.52 प्रतिशत था जिसमें 29.07 महिला मतदान प्रतिशत तथा 59.68 पुरूष मतदान प्रतिशत था। साथ ही वर्ष 1957 में रीवा जिले में कुल मतदान 43.01 प्रतिशत था जिसमें महिला मतदान प्रतिशत 27.60 तथा पुरूष मतदान प्रतिशत 58.42 था।

वर्ष 2018 के मध्यप्रदेश विधानसभा चुनावों में कुल मतदान 74.85 रहा जिसमें महिला मतदान प्रतिशत 73.86 था, पुरूष मतदान प्रतिशत 75.72 रहा। वहीं रीवा जिले में वर्ष 2018 में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत 63.81 रहा, जिसमें महिला मतदान प्रतिशत 61.35 तथा पुरूष मतदान प्रतिशत 66.27 रहा।

तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट हो रहा है कि वर्ष 1957 में सम्पन्न हुए प्रथम विधानसभा चुनाव से लेकर वर्ष 2018 में सम्पन्न विधानसभा चुनाव तक सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं रीवा जिले में महिला मतदान प्रतिशत में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। महिला मतदान प्रतिशत में वर्ष भर वृद्धि उनकी राजनैतिक सहभागिता एवं जागरूकता का परिचायक है।

निष्कर्ष –

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जनजातीय महिलाएं या कोई भी पिछड़ा समूह औपचारिक या अनौपचारिक राजनैतिक प्रक्रिया में भाग लेता है तो इसका सरल अर्थ यह होता है कि वह उस क्षेत्र विशेष की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है और वर्तमान व्यवस्था के द्वारा स्वयं के ऊपर हो रहे अत्याचारों का सामना करने के लिये तैयार हो रहा है और अपने जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिये प्रयत्नशील है। इस तरह आदिवासी महिलाओं का राजनैतिक प्रक्रिया में शामिल होना उनके सशक्तीकरण का द्योतक है।

संदर्भ –

1. अवस्थी, अमरेश्वर एवं अवस्थी, आनंद प्रकाश (2000) – भारतीय प्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा
2. वसु, डॉ. दुर्गादास (2008) – भारत का संविधान–एक परिचय, लेक्सिस वेक्सिस बटरवर्ड्स, नई दिल्ली
3. चौरे, डॉ. अजय आर. एवं तिवारी, डॉ. सुनीत कुमार (2020) – महिलाएं : स्थिति और अधिकार, माया प्रकाशन, कानपुर
4. धवन, हरिमोहन (1998) – महिला सशक्तीकरण : विविध आयाम, रावत पब्लिकेशन, आगरा
5. गोयल, सुनील (2003) – भारतीय समाज में नारी, आर.बी.एम.ए. पब्लिकेशन, जयपुर
6. गौतम, डॉ. नीरज कुमार (2014) – पंचायती राज सूचना प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, वर्ष–60, अंक–3, जनवरी–2014, पृष्ठ 33–37